राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4233/2025

बृज किशोर शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान सरकार, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 07.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कमल कान्त शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जालसू, जयपुर हाल ही आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर हुई थी और उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की जन्मतिथि 10.04.1966 के अनुसार दिनांक 30.04.2026 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर राजकीय सेवा से लगभग 8 माह में सेवानिवृत्त होने वाला है। आदेश दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम, जयपुर रखा गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और तब से अपीलार्थी अपनी सेवायें निरंतर दे रहा है। आदेश

दिनांक 04.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति सेवाओं को समाप्त कर दिया गया और उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर किया गया। जबकि अपीलार्थी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीडित है और चिकित्सीय अवकाश पर है। आदेश दिनांक 05.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी 8 माह पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाला है और फिर भी अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2025 के द्वारा उसे आदेशों की प्रतीक्षा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनपुरा, ब्लॉक गोविन्दगढ़, जिला जयपुर पदस्थापित किया गया है, जो 90 कि.मी. दूर है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया पदस्थापन नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को जयपुर शहर के नजदीक पदस्थापित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जालसू, जयपुर हाल ही आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर हुई थी और उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम, जयपुर रखा गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया और तब से अपीलार्थी अपनी सेवायें निरंतर दे रहा है। जहां तक

अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा उसकी प्रतिनियुक्ति सेवाओं को समाप्त करने और आलोच्य आदेश दिनांक 10.09.2025 के द्वारा उसे पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 09.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति सेवा पर रखा गया और आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा उसकी प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त पश्चात् आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया और तत्पश्चात् आदेश दिनांक 10.09.2025 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनपुरा, ब्लॉक गोविन्दगढ़, जिला जयपुर पदस्थापित किया गया है। प्रतिनियुक्ति आदेश से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी जयपुर जिले में ही कार्यरत था और आलोच्य आदेश के द्वारा भी अपीलार्थी को जयपुर जिले में ही पदस्थापित किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें छात्रहित/ जनहित में कहां पर ली जानी हैं। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य